<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

दांडिक अपीलीय अधिकारिता

<u>आपराधिक अपील संख्या- 1001-1002/2022</u>

[विशेष अनुमति अपील (दांडिक) संख्या-6128-29/2021 से उत्पन्न याचिका]

नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो ..अपीलार्थी

बनाम

मोहित अग्रवाल ...प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. हिमा कोहली</u>

1. अनुमति प्रदानित|

2. अपीलार्थी -एनसीबी मामला संख्या एससी/1334/2020 में प्रत्यर्थी-अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद ज़मानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 16.03.2021 से व्यथित है जिसमें प्रत्यर्थी स्वापक औषधि और

मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/22 और 29 के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा है।

3. अभियोजन द्वारा स्थापित मामला यह है कि स्वापक नियंत्रक ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.01.2020 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर, कि एक पार्सल आगरा के गौरव कुमार अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति द्वारा बुक किया गया था, जिसे लुधियाना, पंजाब में एक मनोज कुमार को दिया जाना था और एक कूरियर कंपनी के गोदाम में रखा गया था, जो कि गांव समालखा, कापसहेरा, नई दिल्ली में स्थित था, जिसमें एनआरएक्स टेबलेट्स होने का संदेह था। गोलियां नशीला पदार्थ होने के कारण एनसीबी की टीम उक्त गोदाम में पहुंची और तलाशी की कार्यवाही की। कूरियर कंपनी के स्टाफ सदस्यों में से दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में संदिग्ध पार्सल की पहचान की गई और उसे खोला गया। उक्त पार्सल को खोला गया और 20 किलो वजन के 50,000 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद किए गए। चूंकि संदिग्ध पार्सल में मौजूद गोलियां गलत घोषित की गई थीं और बिना

किसी वैध बिल के थीं, एनसीबी के अधिकारियों द्वारा जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई ।

4. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत अभियुक्त गौरव कुमार अग्रवाल द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयान में, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कूरियर कंपनी के माध्यम से पार्सल बुक किया था, जिसे पंजाब के लुधियाना निवासी मनोज कुमार तक पहुंचाया जाना था और उसने प्रत्यर्थी से तलाशी की कार्यवाही के दौरान बरामद ट्रामाडोल टैबलेट बिना किसी बिल या नुस्खे के खरीदी थी। बल्कि, पार्सल पर यह उल्लेख किया गया था कि इसमें "सर्जिकल आइटम" हैं । अभियुक्त गौरव कुमार अग्रवाल ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी ने उपरोक्त दवाएं जयपुर निवासी प्रमोद जयपुरिया उर्फ दविंदर खंडेलवाल से खरीदी थीं और प्रमोद जयपुरिया का दामाद आगरा में उसका व्यवसाय देखता था और उसका एक गोदाम था जहाँ ड्रग्स का भंडारण किया जाता था।

5. अभियोजन पक्ष ने आगे कहा कि गौरव कुमार अग्रवाल ने खुलासा किया था कि वह जानता था कि प्रत्यर्थी का निवास और दुकान कहाँ स्थित है और वह

उनकी पहचान कर सकता है। तद्नुसार, उक्त अभियुक्त व्यक्ति छापेमारी दल के साथ प्रत्यर्थी के परिसर में गया। प्रत्यर्थी द्वारा किए गए खुलासे पर छापेमारी टीम प्रमोद जयपुरिया के गोदाम में गई और तलाशी ली जिसके दौरान एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में आने वाली दवाओं का एक जखीरा बरामद किया गया। उक्त दवाओं में ट्रामाडोल, ज़ोलपिडेम और अल्प्राजोलम टैबलेट / कैप्सूल सहित विभिन्न नसिले पदार्थों की 6,64,940 गोलियां शामिल हैं, जिनका वजन लगभग 328.82 किलोग्राम है, 1400 पाज़िंक इंजेक्शन 1.4 लीटर और 80 कोरेक्स सिरप की बोतलें 8 लीटर वजन की हैं। एनसीबी अधिकारियों द्वारा लुधियाना में अभियुक्त मनोज कुमार के परिसरों में की गई तलाशी के दौरान 990 ग्राम वजन की 9,900 गोलियां बरामद की गईं।

6. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज अपने बयान में, प्रत्यर्थी ने खुलासा किया कि वह प्रोमोद जयपुरिया से उक्त टैबलेट और कैप्सूल को अवैध रूप से बेच और खरीद रहा था। प्रत्यर्थी को 11 जनवरी, 2020 को हिरासत में ले लिया गया। उसने माननीय विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस के समक्ष दो ज़मानत

अर्ज़ी दायर की। उक्त दोनों अर्ज़ी का अपीलार्थी -एनसीबी द्वारा पुरजोर विरोध किया गया और विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस द्वारा खारिज कर दिया गया। 21 जुलाई, 2020 के आदेश द्वारा अपनी दूसरी ज़मानत अर्ज़ी खारिज किये जाने से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने ज़मानत हेतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत एक याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के ज़रिये मंजूर किया गया है।

7. अपीलार्थी -एनसीबी की ओर से बहस करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री जयंत के. सूद ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी को ज़मानत देने का आदेश को पारित करते हुए, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में गलती की है कि एनसीबी अधिकारियों द्वारा उनके आवास से कोई अभियोगात्मक सामग्री बरामद नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी की है कि यह प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं किए गए उस खुलासे के आधार पर था कि सह-अभियुक्त प्रमोद जयपुरिया के गोदाम से भारी मात्रा में नशीली दवाएं और इंजेक्शन जब्त किए गए थे, जिन्हें बाद में विभाग ने गिरफ्तार कर लिया था; यह

कि उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के नियमों और शर्तों को लागू न करके गंभीर त्रुटि की है; यह कि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध नशीले पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी की श्रेणी में आता है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में लगाए गए प्रतिबंध के परिप्रेक्ष्य में, प्रत्यर्थी की ज़मानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी और यह कि यह प्रतिबंधित पदार्थों के अप्रत्यक्ष/सचेत कब्जे का मामला है क्यूंकि प्रत्यर्थी एक संगठित गिरोह में सक्रिय भागीदार था जो ड्रग्स की तस्करी में शामिल था। अंत में, यह कहा गया कि प्रत्यर्थी के खिलाफ पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं जो उसे ज़मानत दिए जाने से वंचित कर देगा।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड श्री पी.के. जैन ने वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि एक साल और तीन महीने हिरासत में रहने के बाद उच्च न्यायालय ने सही ढंग से प्रत्यर्थी की ज़मानत स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि अपीलार्थी-एनसीबी और प्रत्यर्थी के अधिवक्ता को सुनने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया गया था और प्रत्यर्थी ने उस पर

लगाए गए ज़मानत के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। गुणागुण के आधार पर, यह आग्रह किया गया था कि कथित घटना में, मादक दवाओं की खेप प्रत्यर्थी द्वारा या उसके लिए बुक नहीं की गई थी। प्रत्यर्थी के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उसके आवास और दुकान पर की गई तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी को आगरा में दवा बेचने वाला एक छोटा दुकानदार बताते हुए कहा कि उसका अन्य सह-आरोपियों से कोई संबंध नहीं था और उसका नाम एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत सह-अभियुक्त गौरव कुमार अग्रवाल के बयान के दौरान सामने आया था, जो आंशिक रूप से आगरा और दिल्ली में दर्ज किया गया था। हालांकि गौरव कुमार अग्रवाल एनसीबी टीम के अधिकारियों को प्रत्यर्थी की दुकान पर ले गए थे, जिसकी विधिवत तलाशी ली गई, लेकिन वहां से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। उपरोक्त के अलावा, सह-अभियुक्त गौरव कुमार अग्रवाल और प्रत्यर्थी दोनों पहले अवसर पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज अपने बयानों से मुकर गए थे। और इस न्यायालय द्वारा तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य में

निर्धारित किए गए कानून के मद्देनजर, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया कोई भी इकबालिया बयान, उक्त अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य है। यह आग्रह करते हुए कि उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक सिद्धांत का पालन किया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोप-पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज अभियुक्तों के इकबालिया बयानों के अलावा, कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आ रही थी, प्रत्यर्थी की ज़मानत सही ढंग से स्वीकार की गई थी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप योग्य कोई त्रुटि नहीं है।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

10. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान इस प्रकार हैं:

"[37. अपराधों का संज्ञेय और गैर-जमानती होना।-(1)
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी-
(क) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(ख) [धारा 19 या धारा 24 या धारा 27ए के तहत अपराध और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को तब तक ज़मानत पर या अपने बांड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया जाये, और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट हो कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

2. उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट ज़मानत देने की सीमाएँ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत ज़मानत देने से संबंधित सीमाओं के अतिरिक्त हैं।

11. धारा 37 की उप-धारा (1) में सम्मिलित खंड और उप-धारा (2) में लगाई गई शर्तों के साधारण पठन से स्पष्ट हो जाता है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले अभियुक्त व्यक्ति को ज़मानत देते समय न्यायालय की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। न केवल दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत लगाई गई सीमाओं बल्कि धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 37 की उप-धारा (1) में लगाई गई शर्तें यह हैं कि (i) लोक अभियोजक को अभियुक्त

व्यक्ति द्वारा रिहाई के लिए पेश किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए और (ii) यदि ऐसे किसी आवेदन का विरोध किया जाता है, तो न्यायालय को अवश्य संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय को इस बात से भी ज़रूर संतुष्ट होना चाहिए कि ज़मानत पर रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

12. इस न्यायालय के कई फैसलों में अभिव्यक्ति "उचित आधार" पर चर्चा हो चुकी है। "कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, नई दिल्ली बनाम अहमदलीवा नोदिरा" में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए एक निर्णय में, इस प्रकार कहा गया है: -

"7. ज़मानत देने में बाधाएं तभी आती हैं जब ज़मानत देने का सवाल गुणागुण के आधार पर उठता है। लोक अभियोजक को अवसर प्रदान करने के अलावा, अन्य दो शर्तें जो वास्तव में वर्तमान अभियुक्त -प्रत्यर्थी के संबंध में प्रासंगिक हैं, वे हैं: अदालत की संतुष्टि कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। शर्तें जुडी हुई हैं वैकल्पिक नहीं। अभियुक्त के दोषी न होने के संबंध में जिस संतुष्टि पर विचार किया गया है, वह उचित आधारों पर

आधारित होनी चाहिए। **अभिव्यक्ति "उचित आधार" का अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों पर विचार करता है कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है। प्रावधान में विचार किए गए उचित विश्वास के लिए ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है जो संतुष्टि को सही ठहराने के लिए अपने आप में पर्याप्त हों कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है।" (ज़ोर दिया गया)**

13. अभिव्यक्ति "उचित आधार" "**केरल राज्य और अन्य बनाम राजेश और अन्य"** में चर्चा के लिए आई और इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"20. अभिव्यक्ति "उचित आधार" का अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों पर विचार करता है कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है। प्रावधान में विचार किए गए उचित विश्वास के लिए ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है जो संतुष्टि को सही ठहराने के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने धारा 37 के अंतर्निहित उद्देश्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि दं.प्र.सं. या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तहत प्रदान की गई सीमाओं के अलावा, ज़मानत को विनियमित करने के लिए, एनडीपीएस अधिनियम के तहत ज़मानत के मामले में इसका उदार दृष्टिकोण वास्तव में अनावश्यक है।" **(ज़ोर दिया गया)**

14. संक्षेप में, धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उचित आधार" का अर्थ विश्वसनीय, स्वीकार्य और न्यायालय के लिए यह मानने का आधार होगा कि अभियुक्त व्यक्ति कथित अपराध का दोषी नहीं है। इस तरह

के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसे तथ्य और परिस्थितियां मौजूद होनी चाहिएं जो अदालत को यह मानने के लिए विश्वास दिला सकें कि अभियुक्त व्यक्ति ने ऐसा अपराध नहीं किया होगा। उपरोक्त संतुष्टि को सम्मिलित करना एक अतिरिक्त विचार है कि ज़मानत पर रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

15. हम स्पष्ट कर दें कि अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में ज़मानत अर्ज़ी की जांच करते समय, न्यायालय को यह निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त व्यक्ति दोषी नहीं है। न्यायालय से यह भी उम्मीद नहीं की जाती है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों को तोलेगा कि अभियुक्त ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध किया है या नहीं। इस स्तर पर अदालत से जो पूरी कवायद करने की उम्मीद है, वह उसे ज़मानत पर रिहा करने के सीमित उद्देश्य के लिए है। इस प्रकार, यह विश्वास करने के लिए उचित आधार की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि अभियुक्त उन अपराधों के लिए

दोषी नहीं है जिन का उस पर आरोप लगाया गया है और ज़मानत पर रहते हुए अधिनियम के तहत अपराध करने की संभावना नहीं है।

16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, तोफान सिंह (उपरोक्त) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश को यह मानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि अपीलार्थी-एनसीबी एनडीपीएस अधिनियम धारा 67 के तहत दर्ज प्रत्यर्थी और अन्य सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयानों पर भरोसा नहीं कर सकता था जिसमें बहुमत के निर्णय के अनुसार, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान को एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य माना गया है। इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा हिरासत में रहते हुए इस आशय से की गई स्वीकारोक्ति कि उसने नशीली दवाओं का अवैध रूप से व्यापार किया था, को अलग रखना होगा। हालांकि, यह एकमात्र तथ्य नहीं था जिस पर अपीलार्थी-एनसीबी ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करने के लिए भरोसा किया था। अपीलार्थी-एनसीबी ने विशेष रूप से

कहा था कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए खुलासे ने एनसीबी टीम को सह-अभियुक्त प्रमोद जयपुरिया के गोदाम में पहुंचने और छापेमारी करने के लिए प्रेरित किया था जिसके परिणामस्वरूप गोलियों, इंजेक्शन और सिरप के रूप में बड़ी मात्रा में विभिन्न मनोदैहिक पदार्थों को बरामद किया गया। अपीलार्थी -एनसीबी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि यह प्रत्यर्थी था जिसने सह-अभियुक्त प्रमोद जयपुरिया के पते और स्थान का खुलासा किया था जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्थी सहित सभी सह-अभियुक्तों के मोबाइल फोन के सीडीआर विवरण से पता चलता है कि वे एक-दूसरे के संपर्क में थे।

17. इसके अतिरिक्त एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज प्रत्यर्थी और अन्य सह-अभियुक्तों के इकबालिया बयान जिससे बाद में वे मुकर गए थे को खारिज कर देने पर भी , अपीलार्थी-एनसीबी द्वारा अभिलेख पर लाए गए अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य को उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने और यह निष्कर्ष निकालने से रोकना चाहिए था कि यह न्यायसंगत ठहराने के उचित आधार थे कि वह एनडीपीएस अधिनियम के तहत इस तरह के

अपराध का दोषी नहीं था। हम प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन और आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणी से सहमत नहीं हैं कि चूंकि प्रत्यर्थी के कब्जे से कुछ भी नहीं मिला इसीलिए वह उस अपराध का दोषी नहीं है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। इस स्तर पर ऐसी धारणा समय पूर्व होगी।

18. हमारी राय में अधिनियम की धारा 37 के तहत उपलब्ध ज़मानत के सीमित मानदंड वर्तमान मामले के तथ्यों में पुरे नही किये गए है। इस स्तर पर, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि प्रत्यर्थी ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपने खिलाफ आरोपित अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसकी ज़मानत स्वीकार की गई है। उसकी हिरासत की अवधि या यह तथ्य कि आरोप-पत्र दायर कर दिया गया है और मुकदमा शुरू हो गया है, अपने आप में विचार नहीं है जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रत्यर्थी को राहत देने के लिए प्रेरक आधार के रूप में माना जा सके।

19. पूर्वोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, वर्तमान अपीलों को मंजूर किया जाता है और प्रत्यर्थी को गिरफ्तारी के बाद ज़मानत पर रिहा करने का आक्षेपित आदेश रद्द और अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी के ज़मानत बांड रद्द किए जाते हैं और उसे तत्काल हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है।

.....सीजेआई.

(एन.वी रमना)

.....न्या.

(कृष्ण मुरारी)

.....न्या.

(हिमा कोहली)

नई दिल्ली,
जुलाई 19, 2022

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा / समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|